राजस्थान सरकार

पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली

(बीकानेर हाउस, पंडारा रोड, नई दिल्ली–110003)

दूरभाष न. :– 011–23389525 ई–मेल :–trcnewdelhi-dot@rajasthan.gov.in

क्रमांकः प.स्वा.के. / नई दिल्ली / निविदा / 2026–27 / 2856 दिनांकः 30/07/2026

–: निविदा सूचना (01 / 2026–27) :–

वित्तीय वर्ष 2026–27 में नई दिल्ली में विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों में समन्वय, मुख्यालय से उच्चाधिकारियों की राजकीय यात्राओं, बैठकों तथा कार्यालय के अन्य कार्यों हेतु कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध कराये जाने बाबत् अनुभवी, दक्ष एवं योग्य निविदादाताओं से वार्षिक दर संविदा की प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं अधोलिखित विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है :–

1.	उपापन किये जाने वाले कार्य / सेवा का विवरण	विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों में समन्वय, मुख्यालय से उच्चाधिकारियों की राजकीय यात्राओं, बैठकों तथा कार्यालय के अन्य कार्यों हेतु कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध करायी जानी है। **(स्कॉप ऑफ वर्क–निविदा के 'प्रपत्र–ब' के अनुसार)**
2.	कार्य की अनुमानित राशि	रू. 6.00 लाख मय जी.एस.टी
3.	बोली प्रपत्र शुल्क	रू. 500.00
4.	बोली प्रतिभूति राशि	रू.12,000.00
5.	निविदा जारी करने की तिथि	30 जुलाई, 2026
6.	निविदा विक्रय की अंतिम तिथि मय समय	06 अगस्त, 2026 प्रातः 11:00 बजे तक
7.	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि मय समय	06 अगस्त, 2026 दोपहर 1:00 बजे
8.	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक मय समय	06 अगस्त, 2026 दोपहर 3:00 बजे
9.	वित्तीय बिड खोलने की दिनांक मय समय	07 अगस्त, 2026 प्रातः 11:00 बजे
10.	बोली प्रपत्र पढने / देखने / डाउनलोड करने हेतु वेबसाईट का विवरण	• http://sppp.rajasthan.gov.in • https://www.tourism.rajasthan.gov.in/

इच्छुक बोलीदाताओं को तकनीकी बोली (प्रपत्र–अ) एवं वित्तीय बोली (प्रपत्र–ब) पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते दिनांक 30.07.2026 से कार्यालय समय में निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क जमा कराके या वेब पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in से ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है। बोली की पात्रता के संबंध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

बोली प्रपत्र एवं अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट https://www.tourism.rajasthan.gov.in/ तथा वेबपोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर पढी / देखी / डाउनलोड की जा सकती है।

(डॉ दिपाली शर्मा)
उप निदेशक

क्रमांकः प.स्वा.के. / नई दिल्ली / निविदा / 2026–27 / 2857-58 दिनांकः 30/07/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. ACP, IT निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली।

उप निदेशक

राजस्थान सरकार
पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली
(बीकानेर हाउस, पंडारा रोड, नई दिल्ली–110003)
दूरभाष न॰ :– 011–23389525 ई–मेल :–trcnewdelhi-dot@rajasthan.gov.in

"प्रपत्र–अ"

निविदा क्रमांक : 01/2026–27

–: तकनीकी निविदा प्रपत्र :–

वित्तीय वर्ष 2026–27 में नई दिल्ली में विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों में समन्वय, मुख्यालय से उच्चाधिकारियों की राजकीय यात्राओं, बैठकों तथा कार्यालय के अन्य कार्यों हेतु कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध कराये जाने बाबत्, कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा प्रपत्र :–

- **निविदादाता फर्म का नाम** ....
....
- **निविदादाता फर्म का पता व मो.नं.** ....
....

1.	निविदादाता फर्म का पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करे)	
2.	निविदादाता फर्म का जी.एस.टी. नम्बर (छायाप्रति संलग्न करे)	
3.	बोली प्रतिभूति राशि रू. 12,000.00 का विवरण (बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संलग्न करे)	
4.	ब्लैकलिस्ट/अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र (रू.50.00के स्टाम्प पेपर पर)	
5.	घोषणा प्रपत्र एस.आर. – 11	
6.	वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 के वार्षिक टर्नओवर की सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रतियां, जो कि औसतन कम से कम रू. 6.00 लाख होना आवश्यक है।	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

राजस्थान सरकार
पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली
(बीकानेर हाउस, पंडारा रोड, नई दिल्ली–110003)
दूरभाष न. :– 011–23389525 ई–मेल :–trcnewdelhi-dot@rajasthan.gov.in

"प्रपत्र–ब"

निविदा क्रमांक : 01/2026–27

–: वित्तीय बोली प्रपत्र :–

वित्तीय वर्ष 2026–27 में नई दिल्ली में विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों में समन्वय, मुख्यालय से उच्चाधिकारियों की राजकीय यात्राओं, बैठकों तथा कार्यालय के अन्य कार्यो हेतु कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध कराये जाने बाबत् कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोली प्रपत्र :–

1. निविदादाता फर्म का नाम व पता..

   ....

2. बोली प्रस्तुत करने की दिनांक..

क्रमांक	विवरण	दरें (राशि रूपये में)				
		40 कि मी 04 घन्टे	80 कि मी 08 घन्टे	अति0 घन्टा	अति. कि मी	रात्रि चार्ज
1	Dzire/Similarly					
2	Ertiga/ Similarly					
3	Innova Crysta					
4	टैम्पो ट्रवल 12 + 1 सीटर					

Rate for out of the division and state level -				
5.	Innova / Equivalent Vehicle (AC)	(i)	Rent per km for out of the division and state level (Mention minimum km charges per day)	

NOTE-Rates shall be submitted Inclusive of all charges of fuel, toll tax, GST and other expenditure.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

RAJASTHAN
The Incredible State of India!

राजस्थान सरकार
पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली
(बीकानेर हाउस, पंडारा रोड, नई दिल्ली–110003)
दूरभाष न. :– 011–23389525 ई–मेल :–trcnewdelhi-dot@rajasthan.gov.in

"प्रपत्र–स"

निविदा क्रमांक : 01/2026–27

–: निविदा से संबंधित आवश्यक विवरण व शर्ते :–

वित्तीय वर्ष 2026–27 में नई दिल्ली में विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों में समन्वय, मुख्यालय से उच्चाधिकारियों की राजकीय यात्राओं, बैठकों तथा कार्यालय के अन्य कार्यों हेतु कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध कराये जाने बाबत् कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा से संबंधित आवश्यक विवरण व शर्तेंनिम्नानुसार है :–

1. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
2. **निविदादाता द्वारा दर जी.एस.टी. व अन्य कर, ईधन तथा अन्य व्यय यथा टोल टैक्स आदि को सम्मिलित कर अंकित की जावें।**
3. वाहनों का उपयोग विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों में समन्वय, मुख्यालय से उच्चाधिकारियों की राजकीय यात्राओं, बैठकों तथा कार्यालय के अन्य कार्यों हेतु कार्यालय के अन्य कार्यों के लिए किया जा सकेगा।
4. नई दिल्ली/एन सी आर से बाहर मांगे गऐ वाहन की व्यवस्था के लिए अलग से दर आमंत्रित की गई है। निविदादाता दर प्रस्तुत करने से पूर्व स्कोप ऑफ वर्क को भली–भांति समझ लेंवे।
5. तकनीकी निविदा में सफल होने के पश्चात ही वित्तीय निविदा को खोला जावेगा तथा न्यूनतम दर दाता (एल–1) को कार्यादेश दिया जावेगा।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईड लाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
7. **यह अनुबन्ध करार की दिनांक से 31.03.2027 तक मान्य होगा। अनुबन्ध की अवधि विभाग तथा संवेदक की सहमति से विद्यमान शर्तो एवं दरों पर आगे भी बढाई जा सकेगी।**
8. **बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि के 90 दिन की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।**
9. बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत बोली स्वीकार नही की जावेगी।
10. **निविदादाता द्वारा यात्रा हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन की साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।**
11. **विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।**
12. नियमों के अधीन पंजीकृत वाहनों के लिए ही निविदाएं मान्य होंगी।
13. विभाग द्वारा वाहन की मांग की जाने पर तत्काल (2 घंटे में) उपलब्ध करवाना होगा।
14. निविदादाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 के वार्षिक टर्नओवर की सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न की जानी है, जो कि औसतन कम से कम रू. 6.00 लाख होना आवश्यक है।
15. निविदा में भाग लेने वाली फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए तथा फर्म के विरूद्ध किसी प्रकार की देयता बकाया नहीं है, इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
16. एक लिफाफे में तकनीकी बोली प्रपत्र, शर्ते, डी.डी. तथा अन्य सभी प्रपत्र तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बोली प्रपत्रकों रखना है तथा दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफे मे डालकर कार्यालय में प्रस्तुत करें जिस पर कार्य का नाम लिखा हो, जिसके लिए बिड दिया जाना है।
17. निविदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह दरे प्रस्तुत करने से पूर्व स्कोप ऑफ वर्क को भली–भांति समझ लेंवे।
18. निविदा प्रारूप/प्रपत्र स्याही से भरे जाएंगे या टंकण से भरा जाएगा पेंसिल से की गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। दरें स्पष्ट तथा अंको व शब्दों में लिखी जानी चाहिए।

19. निविदादाता द्वारा तकनीकी दर निविदा में जी.एस.टी. सर्टीफिकेट लगाना अनिवार्य होगा। केन्द्र / राज्य सरकार को देय समस्त कर जमा कराने का उत्तरदायित्व भी संवेदक का होगा।
20. निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि तथा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि Commissioner, Department of Tourism के नाम बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक द्वारा ही मान्य होगी, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
21. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 500.00 का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
22. <u>करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Agreement and Performance Security)</u>: –
    - सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश की दिनांक से अधिकतम 7 दिवस में कार्य संपादन प्रतिभूति राशि रू. 30,000.00 बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी।
    - सफल निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर राशि रू. 500.00 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में पर्यटन विभाग, जयपुर के हित में शर्तों की पालना हेतु अनुबंध पत्र लिपिबद्ध कर, कार्यालय में जमा कराना होगा, जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर होंगे।
    - कार्य संपादन प्रतिभूति राशि पर पर्यटन विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा उक्त राशि अनुबंध के सुचारू रूप से पूर्ण होने के बाद नियमानुसार लौटाई जावेगी।
23. <u>कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Secruity Deposit)</u>– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा–
    - जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।
    - जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
    - जब बोलीदाता कार्यादेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भकरने में असफल रहता हो।
    - कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त, पर्यटन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
24. निविदा प्रपत्र शुल्क तथा बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
25. <u>बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security)</u> :–बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा
    - जब बोलीदाता बोली खुली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
    - जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार / अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करता है।
    - जब बोलीदाता कार्यादेश के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
    - निहित समय के भीतर आपूर्ति आदेश के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने पर विफल रहता है।
26. अनुबन्ध की अवधि में संविदा की किसी भी शर्त का उल्लघंन करने की स्थिति में विभाग को फर्म की धरोहर राशि / प्रतिभूति राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जब्त करने का अधिकार होगा।
27. कार्य की तत्कालीनता को देखते हुए दूरभाष पर भी आदेश दिये जा सकेंगे जो निविदादाता को मान्य होंगे। इसकी पुष्टि के बाद में आदेश जारी किये जा सकेंगे।
28. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। कार्य का भुगतान नियमानुसार कोषालय से बिल पारित होने के उपरान्त किया जावेगा। सफल निविदादाता को बिल 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा तथा ऑनलाईन बिल के भुगतान हेतु फर्म को अपना जी.एस.टी. नम्बर, पैन नम्बर, बैंक का नाम, खाता संख्या, आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर आदि उपलब्ध कराना होगा।

29. कार्य संपादन में कमी, न्यूनता, देरी, प्रतिस्पर्धा आदि से संबंधित नियम उक्त निविदा पर लागू होंगे तथा नियमानुसार कटौती की जावेगी।
30. भुगतान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार किया जायेगा। बिल से नियमानुसार होने वाली कटौतियॉ जैसे आयकर/जी.एस.टी. आदि की कटौती की जायेगी।
31. निविदादाता द्वारा वाहन की लोग शीट निर्धारित प्रारूप में संधारित की जाएगी जो कि बिल के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत की जानी है।
32. उपापन समिति किसी व्यक्ति, फर्म, ट्रैवल एजेंसी जो स्वयं के नाम से टैक्सी के रूप में पंजीकृत वाहन रखते हो, से निविदाएं स्वीकार करने पर विचार कर सकेगी।
33. वाहन में किसी भी प्रकार की टूट–फूट, चालान, चोरी अथवा ऐक्सीडेंट होने पर उसके लिये वाहन मालिक ही उत्तरदायी होगा। विभाग की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नही होगी। वाहन मालिक ही पूर्ण रूपेण जम्मेदार होगा तथा मुआवजे की भरपायी करेगा।
34. वाहन उपयोग हेतु स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा न ही अग्रिम रूप से भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार को नियमानुसार देय समस्त प्रभार/टैक्स, जी.एस.टी, टोल टैक्स आदि का भुगतान स्वयं संवेदक द्वारा किया जायेगा।
35. वाहन एवं वाहन चालक के समस्त कागजात (RC, DL, Permit and Insurance)नियमानुसार पूर्ण एवं अद्यतन होने चाहिए।
36. वाहन का पंजीकरण, बीमा संबंधी व्यय एवं ड्राईवर के लाइसेंस आदि की व्यवस्था संवेदक की होगी। यदि परिवहन विभाग द्वारा कोई पैनेल्टी लगाई जाती है, तो उसके भुगतान का दायित्व संवेदक का होगा।
37. किसी भी यांत्रित/परिस्थिति जन्य त्रुटि के कारण विभाग के प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि विभागको अतिरिक्त मूल्य के वाहन की व्यवस्था करने परवहन करना होता है, तो उक्त राशि फर्म के बिल में से समायोजित की जावेगी।
38. निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा की प्रत्येक वाहन जो विभाग के कार्य हेतु प्रयुक्त होना है, में किलोमीटर रिंडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से चल रहा है।
39. किसी स्थान विशेष की यात्रा में यदि किलोमीटर रिडींग असामान्य रूप से परिवर्तित होना प्रतीत होता है तो कि.मी. का निर्धारण पी.डब्लु.डी./रोडवेज द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकित दूरी अनुसार किया जा कर भुगतान उसी अनुरूप किया जा सकेगा।
40. सफल निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौंप सकेगा एवं नहीं किसी को आगे भाडे(Sub-let) पर नहीं देगा।
41. वाहन का पंजीयन टी. श्रेणी का होना चाहिए।
42. वाहन को किसी गंतव्य स्थल पर जाने एवं वापस आने पर यात्रा में उपयोग होने वाले ईंधन एवं वाहन की मरम्मत संबंधी समस्त व्यय संवेदक को वहन करने होंगे एवं ईधन की दरों में कमी/वृद्धि होने पर अनुमोदित दरों में कोई परिवर्तन नही होगा।
43. वाहन में ईधन के रूप में एल.पी.जी. सिलेंडर का प्रयोग नहीं किया जावेगा।
44. यात्रा के दौरान वाहन चालक किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेगा तथा विधि एवं नियमों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा।
45. विभाग की मांग पर वाहन उपलब्ध नहीं होने या वाहन खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन की व्यवस्था संवेदक की जिम्मेदारी पर की जावेगी, जिसकी अंतर राशि की वसूली संवेदक से की जावेगी।
46. विभाग में आपूर्तिकर्ता वाहन का पंजीयन, परमिट, रोड़ टैक्स, बीमा, फिटनेस, पियूसी सर्टिफिकेट इत्यादि की छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी।
47. विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों व उपबंधों की पालना करनी होगी।
48. **विशिष्ट परिस्थितियों में विभाग का अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार होगा। इसके लिए विभाग से निविदादाता को कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।**

RAJASTHAN
The Incredible State of India!

राजस्थान सरकार
पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली
(बीकानेर हाउस, पंडारा रोड, नई दिल्ली–110003)
दूरभाष न. :– 011–23389525 ई–मेल :–trcnewdelhi-dot@rajasthan.gov.in

49. यात्रा में प्रयुक्त होने वाला वाहन छः वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
50. यात्रा के दौरान वाहन चालक (ड्राइवर) के रहने एवं खाने की की जिम्मेदारी फर्म की होगी। वाहन चालक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से किसी भी प्रकार का रहने एवं खाने के व्यय की माँग नहीं कर सकेगा।
51. यात्रा के दौरान वाहन चालक (ड्राइवर) को विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से शालीन व्यवहार करना होगा। वाहन चालक कोविभाग के अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
52. **अनुबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के संबंध में आयुक्त, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार का निर्णय अंतिम होगा जो अनुबंधकर्ता को बाध्यकारी होगा।**
53. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र नई दिल्ली होगा।
54. निविदा पर Force Majeure प्रावधान लागू होंगे।
55. **संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।**
56. इस निविदा की किसी शर्त तथा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 में विरोधाभास होने की स्थिति में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 विधिमान्य रहेगे।
57. उप निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, नई दिल्ली को निविदा या उसके किसी भाग को स्वीकार करने का, बिना कारण बताए निरस्त करने का तथा निविदा के संबंध में समस्त निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित हैं।
58. इस निविदा के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता हैं।
    - नाम – डॉ दिपाली शर्मा, उप निदेशक
    - कार्यालय का नाम व पता – पर्यटक स्वागत केन्द्र, बीकानेर हाउस, पंडारा रोड नई दिल्ली
    - दूरभाष नम्बर – 011–23389525
    - ई–मेल – trcnewdelhi-dot@rajasthan.gov.in
59. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

मैने उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 59 तक सभी शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ ली हैं एवं समझ ली हैं तथा उक्त समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील